कार्यालयः- जिला शिक्षा अधीक्षक, सिमडेगा

समाहरणालय भंवन, 'सी' ब्लॉक, ग्राउण्ड फ्लोर, खुँटीटोली, सिमडेगा।
Email Id- simdegamdm@gmail.com

कार्यालय आदेश

सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 1246 दिनांक 11.07.2016 के आलोक में उपायुक्त, सिमडेगा द्वारा टीम गठित कर जिला अंतर्गत इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति के मेधांक एवं जेटेट प्रमाण पत्र की जाँच करायी गई है। शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ संस्थान से कराई जा रही है।

नियुक्ति पत्र की कंडिका 16 में उल्लेख है कि ''शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक/ जाति प्रमाण–पत्र के संबंधित बोर्ड/ संस्था/ कार्यालय से सत्यापनोपरान्त सही होने एवं मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी तथ्य की संपुष्टि होने के पश्चात् ही वेतन भुगतान किया जायेगा''। नियुक्ति पत्र की कंडिका 10 के अनुसार सभी नवनियुक्त शिक्षकों से इस आशय का शपथ पत्र लिया जा चुका है कि ''शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए उनके द्वारा दी गई सूचना तथा प्रमाण–पत्र सही हैं और जाँच के क्रम मे यदि इन्हें असत्य पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति रद्द कर उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी''। सभी नवनियुक्त शिक्षक/शिक्षिकाओं का प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु संबंधित बोर्ड/संस्थान को भेजा जा चुका है, जिसमें से कुछ शिक्षकों का आंशिक रूप से सत्यापन होकर कार्यालय को प्राप्त भी हुआ है। सभी नवनियुक्त शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्पूर्ण प्रमाण पत्र सत्यापन होकर जिला कार्यालय को प्राप्त होने में अभी विलंब होने की संभावना है। विभिन्न संगठनों द्वारा अन्य जिलों का हवाला देते हुए शपथ पत्र के आधार पर नवनियुक्त शिक्षक/शिक्षिकाओं के वेतन भुगतान की मांग विभिन्न स्तरों से लगातार उपायुक्त एवं जिला शिक्षा अधीक्षक, सिमडेगा से की जा रही है, के आलोक में जिला शिक्षा स्थापना समिति, सिमडेगा की बैठक, दिनांक 08.09.2016 में लिए गए निर्णयानुसार नियुक्ति पत्र की कंडिका 16 में अंकित निदेश/शर्त को क्षांत करते हुए सशर्त वेतन भुगतान का आदेश जांच समिति के प्रतिवेदन के आलोक में संलग्न सूची के अनुसार आपत्ति दर्ज किए गए शिक्षक/शिक्षिकाओं को छोडकर दिया जाता है।

तदनुसार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के विज्ञापन सं0 03/2015 एवं 04/2015 के विरूद्ध नवनियुक्त शिक्षक/शिक्षिकाओं का उनके कार्यावधि के सशर्त वेतन भुगतान के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा के समक्ष लिए गए इस आशय का शपथ पत्र संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के यहाँ जमा करना होगा कि ''मेरे शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता, जाति, आवासीय, पारा शिक्षक, निःशक्तता से संबंधित तथा अन्य किसी भी प्रमाण पत्र के जांच में त्रुटिपूर्ण/जाली पाये जाने/मान्यता नहीं होने आदि की स्थिति में मेरे विरूद्ध कडी वैधानिक कार्रवाई, जिसमें सेवा समाप्ति, प्राथमिकी दर्ज करना, वेतन की राशि की एक मुश्त वसूली आदि सम्मिलित हैं, सुनिश्चित की जाएगी।''

जिला शिक्षा अधीक्षक,
सिमडेगा।

ज्ञापांक 1497/सिमडेगा, दिनांक 10 सितम्बर 2016।

प्रतिलिपि :–सभी नवनियुक्त शिक्षक/शिक्षिकाओं/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि प्राप्त शपथ पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिमडेगा एवं क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, द0छोटानागपुर प्रमण्डल, रांची की सेवा में सादर सूचनार्थ सपर्पित।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, सिमडेगा को उनके द्वारा दिए गए निदेश के अनुपालन में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची की सेवा में सादर समर्पित।

10.9.16

जिला शिक्षा अधीक्षक,
सिमडेगा।

10/9/16